सं0 ई–11012/12/2009/हिन्दी/600
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
केन्द्रीय जल आयोग
हिंदी अनुभाग

713 (द), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

दिनांक : 25 नवम्बर, 2011

कार्यालय आदेश

विषय: वर्ष 2012 में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थानों एवं उप केन्द्रों में चलाए जाने वाले हिन्दी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

उपर्युक्त विषय से संबंधित गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के पत्र संख्या 19011/11/2011/के.हि.प्रशि.सं./रा.भा.प्रशि./337–1537, दिनांक 16.08.2011 तथा इस कार्यालय में 08.11.2011 को प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है। कृपया सभी संबंधित कार्यालय/अनुभाग/निदेशालय प्रशिक्षण के लिए शेष रहे कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण के लिए नामित करें।

(शेर सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)
बीपीएलः 3737

सेवा में,

1. केन्द्रीय जल आयोग (मु०) के सभी मुख्य अभियंता/अनुभाग/निदेशालय/निदेशक समन्वय/निदेशक–1 एवं 2 और निदेशक (प्रशा0)।
2. अधीनस्थ कार्यालय के सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
4. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।

सं. 19011/11/2011 के. हिं. प्रशि. सं. / ग. भा. प्रशि. / 337-1537

भारत सरकार
GOVERMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक 16.8.2011

सेवा में

निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक (राजभाषा),
सभी मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/निकाय/
उधम संगठन तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

विषय:- वर्ष **2012** में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थानों एवं उपकेंद्रों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के दिनांक 10.09.1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-18015/6/86-रा.भा.ई में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा मंत्रालयों/विभागों/ स्वायत्त संस्थानों, संगठनों एवं बैंकों में नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । मूलत: ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि तक प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें ।

अतः सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-।) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित कर इस सुविधा का लाभ उठाएं ।

2. प्रोत्साहन:- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर 12 महीनों के लिए, एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है । हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70%, 60% तथा 55% अंक प्राप्त करने पर अधिकारी/कर्मचारी क्रमश: रुपए 1600/-, रुपए 800/-, रुपए 400/-, प्रवीण परीक्षा में 70%, 60% तथा 55% अंक प्राप्त करने पर क्रमश: रुपए 1800/-, रुपए 1200/-, रुपए 600/-, तथा प्राज्ञ परीक्षा में 70%, 60% तथा 55% अंक प्राप्त करने पर क्रमश: रुपए 2400/-, रुपए 1600/-, रुपए 800/- के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार पाने के हकदार होंगे । इस राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता है ।

3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि पूर्णकालिक गहन हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामित सभी प्रशिक्षार्थियों की सूची, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, इसके उप संस्थानों तथा उपकेंद्रों के संबंधित सहायक निदेशकों (अनुलग्नक-।।) को पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम 15 दिन पूर्व अवश्य भिजवा दी जाएं ।

4. हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के तीनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर पूरा होता है, जिसकी अवधि क्रमश: 25, 20 तथा 15 दिन होती है । ये पाठ्यक्रम इस प्रकार रखे गए हैं कि संबंधित कार्यालय जहां तक संभव हो, पात्रतानुसार प्रशिक्षार्थी को प्रथम पाठ्यक्रम से लेकर अंतिम पाठ्यक्रम तक संपूर्ण अवधि के लिए एक ही बार में नामित और कार्यमुक्त कर सकें ।

क्षेत्रीय कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में परिचालित करवा दें।

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली–110011/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi- 110011 फैक्स /Fax-011-23018740
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in /वेबसाइट /Website : http://rajbhasha.nic.in/rajbhashachti.htm

प्रशिक्षण के लिए योग्यता एवं पात्रता:-

(क) प्रबोध:- यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मिजो और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।

(ख) प्रवीण:- यह पाठ्यक्रम उन अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए है, जो प्रबोध पास कर चुके हैं या जो प्राइमरी स्तर तक हिंदी पढ़ चुके हैं या जिनका हिंदी का ज्ञान 8वीं कक्षा से कम है । इसमें मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।

(ग) प्राज्ञ:- यह अंतिम पाठ्यक्रम है । यह उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिन्हें मिडिल/माध्यमिक स्तर तक का हिंदी का ज्ञान है या जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या 10वीं कक्षा से कम है । उर्दू, सिंधी, पंजाबी तथा पश्तो भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

5. संस्थान के ये पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होते हैं और इन्हें नियत कार्यदिवसों में पूरा किया जाता है । कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार सुबह **9.30** बजे से सायं **6.00** बजे तक चलाई जाती हैं । प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थी अपनी ड्यूटी पर माने जाते हैं तथा पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं । ये सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 100/- रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी के हिसाब से उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होता है ।

6. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली स्थित गहन प्रशिक्षण केंद्र के दिल्ली से बाहर के प्रतिभागियों के लिए सीमित संख्या में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, जो कि " पहले आओ पहले पाओ " के आधार पर दी जाती है । हॉस्टल पहुँचने के लिए दिल्ली में बस सेवा उपलब्ध है।

छात्रावास का पता इस प्रकार है:-
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
सरकारी हॉस्टल,(सी.पी.डब्ल्यू.डी.)
तीसरा तल, देवनगर, करोल बाग (निकट लिबर्टी सिनेमा)
नई दिल्ली 110005 (फोन नं. 011-28716509)

(बस रूट - नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 181
बस स्टाप का नाम -खालसा कालेज)

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 926, बस स्टाप का नाम -लिबर्टी सिनेमा हॉल) हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भवन तक आने के लिए बस रूट सं. 610 है ।
बस स्टाप का नाम -उद्योग भवन)

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है और इसे विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार पूरा किया जाना है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण हेतु दिल्ली से बाहर के सभी समद्ध नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों/अभिकरणों/संगठनों, स्वायत संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण के पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में नामित करें। सभी अधिकारियों से यह अनुरोध है कि प्रशिक्षण के लिए नामित प्रशिक्षार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर सीधे ही सहायक निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए निदेश दें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि प्रशिक्षार्थियों को हॉस्टल के पते के बारे में, बस रूट सं. कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्र के फोन नं. आदि के बारे में पूरी-पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

8. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली का गहन (भाषा) प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली में स्थित है।

दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्र का पता:
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
कमरा नं.-449 'ए' (चौथा तल),
उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
दूरभाष: 011-23063321 एक्सटेंशन 2207
फैक्स 011-23062626

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(मोहिनी हिंगोरानी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या 19011/11/2011-केहिप्रसं/गहन (भाषा)/337-1537 दिनांक: 16.8.2011

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
2. उप सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
3. उप सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।

5. तकनीकी निदेशक, (एन.आई.सी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दें ।
6. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7. सभी उप निदेशक हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी ।
8. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, आर.के.पुरम, सैक्टर-1, नई दिल्ली – 66
9. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ।
10. संपादक, " राजभाषा भारती ", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
11. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बेंगलूरु, हैदराबाद
12. अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
13. सभी सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/उप संस्थान/उपकेंद्र, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद, वडोदरा एवं कोचीन ।

अनुलग्नक - I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं इसके चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलूरु, मुंबई एवं कोलकाता स्थित उप संस्थानों एवं उपकेंद्रों वडोदरा एवं कोचीन द्वारा

वर्ष 2012 में

आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्यदिवस	प्रशिक्षण की तिथियाँ
प्रथम	प्रबोध	25	2 जनवरी, 2012 से 6 फरवरी, 2012 तक
	प्रवीण	20	7 फरवरी, 2012 से 6 मार्च, 2012 तक
	प्राज्ञ	15	7 मार्च, 2012 से 28 मार्च, 2012 तक
द्वितीय	प्रबोध	25	1 मई, 2012 से 4 जून, 2012 तक
	प्रवीण	20	5 जून, 2012 से 2 जुलाई 2012 तक
	प्राज्ञ	15	3 जुलाई,2012 से 23 जुलाई, 2012 तक
तृतीय	प्रबोध	25	3 सितंबर, 2012 से 8 अक्तूबर, 2012 तक
	प्रवीण	20	9 अक्तूबर, 2012 से 6 नवंबर, 2012 तक
	प्राज्ञ	15	7 नवंबर, 2012 से 29 नवंबर,2012 तक

SMD
627

अनुलग्नक - II

1. सहायक निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, कमरा नं.-449 ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011.
(दूरभाष 011-23063321 एक्सटेंशन-2207) फैक्स 011-23018740,→ पृथ्वीराज रोड
फैक्स 011-23062626 → उद्योग भवन

2. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3सी ब्लॉक, बेसंट नगर, चेन्नै- 600090 (दूरभाष 044- 24918904)

3. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन कोटि, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095 (दूरभाष 040-24747211)

4. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बी विंग, 5वाँ तल, केंद्रीय सदन, 17वाँ मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूरु- 560034 (फैक्स-080-25537089) (दूरभाष-080-25537087)

5. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, केंद्रीय सदन, " सी विंग " छठा माला, सी.बी.डी बेलापुर, नवीं मुंबई – 400614 (दूरभाष - 022-27572705, 27572706) फैक्स 022- 27565417

6. उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन, 18वाँ तल, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता – 700020 (दूरभाष 033-22870793 और 22890038) फैक्स 033-22870793

7. सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गहन भाषा प्रशिक्षण उप केंद्र वडोदरा-390 002.

8. सर्वकार्यभारी अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पी तथा ई) विलेसरील बिल्डिंग दूसरा तल, 27/649. एम.जी. रोड, पेरमनूर, कोचीन – 682 015.